न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी— सुदर्शन सिंह तोमर

क0सं0	पूर्व पत्रावली सं0	दर्ज दिनांक	वर्तमान पत्रावली सं0	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	48/2023	27.09.2023	6/25 (2025/06)	15.01.2025	05.12.2025	1 लगायत 3

1 कन्हैया लाल शर्मा पुत्र स्व0 श्री जगनलाल शर्मा उम्र 65 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी उदेई कलां तहसील गंगापुर सिटी जिला गंगापुर सिटी। ——— अपीलार्थी

बनाम

1. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी जिला—गंगापुर सिटी — रेस्पोडेन्ट

उपस्थित—

अपीलान्ट की ओर से— विद्वान अभिभाषक श्री सतीश चन्द्र शर्मा

रेस्पोडेन्ट की और से:— पेरोकार सरकार।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम,1956

निर्णय

यह अपील तहसील गंगापुर सिटी के नामान्तकरण सं0 1411 दिनांक 27.01.1983 वाके ग्राम उदेई कलां से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की गयी। उक्त नामान्तकरण सं0 1411 दिनांक 27.01.1983 द्वारा ग्राम उदेई कलां में जगन पुत्र घूडया की खातेदारी भूमि का विरासत नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। उक्त नामान्तकरण से अप्रसन्न होकर अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पोडेन्ट सं0 1 की और से पेरोकार सरकार उपस्थित होने पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि कृषि भूमि साबिक खाता सं0 212 व 721 वाके ग्राम उदेई कलां तहसील गंगापुर सिटी में स्थित रही है उक्त साबिक खाता सं0 212 व 721 में रेवन्यु रिकार्ड जमाबन्दी के अन्तर्गत खसरा नम्बर 1009, 1010, 1011 ... उक्त भूमि अपीलान्ट के पिता जगन पुत्र घूडया जाति ब्राहमण निवासी उदेई कलां गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.12.10 16:48:30 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

मु0नं0 06/24 उनवान कन्हैयालाल बनाम लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि रही है जिनके हाल खं0नं0 1355 रकबा 0.09 है0, खं0नं0 3244/6279 रकबा 0.20 है0, खं0नं0 3245 रकबा 0.13 है0, खं0नं0 3246 रकबा 0.72 है0, खं0नं0 3248 रकबा 0.09 है0, खं0नं0 3249 रकबा 0.46 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 1.69 है0 है। उक्त भूमि अपीलान्टी के कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। अपीलान्ट के पिता जगन पुत्र धूड्या की मृत्यु हो चुकी है, जगन पुत्र घूड्या के नाम खातेदारी की भूमि उनके मरने के पश्चात् अपीलान्ट व उसके बडे भाई छैलबिहारी के नाम दिनांक 27.01.1983 को जरिये नामान्तकरण सं0 1411 खोला जा चुका है। उक्त आलोच्य नामान्तकरण तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा दिनांक 27.01.1983 को तस्दीक किया गया है। उक्त आलोच्य नामान्तकरण मात्र सरसरी तौर पर बिना कोई पुख्ता दस्तावेजी साक्ष्य व गवाहों के अभाव में बिना किसी जानकारी के अपीलान्ट के गलत नाम कैलाश पुत्र जगन का नामान्तकरण में भर दिया गया और जल्दबाजी में उसका नामान्तकरण तस्दीक के आधार पर जमाबन्दी तैयार कर दी गई। कैलाश पुत्र जगन नाम का कोई व्यक्ति नहीं है और ना ही उक्त भूमि पर किसी कैलाश पुत्र जगन का कोई सम्बन्ध वास्ता है। अपीलान्ट का सही नाम कन्हैया लाल शर्मा पुत्र जगन है। जगन के दो पुत्र छैलबिहारी व कन्हैया लाल शर्मा पैदा हुये है उक्त आलोच्य नामान्तकरण भरते समय अपीलान्ट से कोई दस्तावेज साक्ष्य की मांग नहीं की गई और ना ही अपीलान्ट से इस बाबत् पूछताछ की गई, साथ ही विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने उक्त अपील स्वीकार कर नामान्तकरण सं0 1411 दिनांक 27.01.1983 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस निवेदन किया कि उक्त नामान्तकरण पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर तस्दीक किया गया है। जिसमें कोई अनियमितता नहीं है, साथ ही पेरोकार सरकार ने अपीलार्थी द्वारा अपील निरस्त कर नामान्तकरण सं0 1411 दिनांक 27.01.1983 यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी पक्ष द्वारा अपने हित में आधार कार्ड , आयकर विभाग (पैन) कार्ड एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम जगन लाल शर्मा अंकित किया हुआ है तथा रेस्पोडेन्ट पक्ष द्वारा भी ऐसा कोई साक्ष्य अथवा राज[illegible]दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे स्पष्ट हो सके कि अपीलार्थी कन्हैयालाल अथवा कैलाश पृथक-पृथक व्यक्ति हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.12.10 19:48:39 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0नं0 06/24 उनवान कन्हैयालाल बनाम लैण्ड होल्डर तहसीलदार गांगपुर सिटी

अतः परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर नामान्तकरण सं0 1411 दिनांक 27.01.1983 वाके ग्राम उदेईकलां निरस्त कर इस आदेश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि अपीलार्थी स्वयं के खर्चे पर विधिक वारिसान का विवरण उल्लेख कर आपत्ति आमंत्रित करने हेतु स्थानीय दैनिक समाचार पत्र व एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित करेगा कि न्यायालय में उक्त विवादित आराजीयात के राजस्व रिकोर्ड में वारिसानों का नाम दर्ज होने है तथा प्रकाशीत समाचार पत्र की प्रति अदालत मातहत में प्रस्तुत करेगा। अदालत मातहत भू–राजस्व अभिधिनम 1956 की धारा 135 (2) के अर्न्तगत तीस दिवस में आपत्ति आंमत्रण करेगा। उक्त प्रकरण में यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो गुणावगुण पर सम्यक् रूप से सुनवाई कर अथवा आपत्ति प्राप्त नहीं होने की दशा में एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की वैधता का विनिश्चय कर पूर्व तस्दीक नामान्तकरण निरस्त कर नये सिरे से नामान्तकरण तस्दीक करने हेतु अदालत मातहत तहसीलदार स्वतंत्र है । यदि उक्त प्रकरण किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन हो या अन्य न्यायालय के स्थगन/प्रतिकूल आदेश प्रचलित होने की दशा मे तहसीलदार पूर्व नामान्तकरण सं0 1411 दिनांक 27.01.1983 को यथावत रखेगा

निर्णय आज दिनांक 05.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.12.10 19:48:39 IST
Reason: SelfAttested